



2

तारीख  
हुक्म

FORM No III  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
मकहाड इत

नम्बर व  
अहकाम ज  
हुक्म की त  
में जारी हुए

प्रस्तुत नशी की कड़ी रेसॉर्ट 46, 7  
की ओर से भी नशी रेसॉर्ट ही गैर पब्लिक  
केट एन्वायलमेंट में भी हुक्म। वकील  
शमीलान्त की बहस सुनी गयी। वकील  
शमीलान्त द्वारा शमील व कवित तन्वै  
को दोहराते हुए। शमील शमीलान्त  
हमीलान्त को भी जमानत की।

छिद्रात अतिमाधक रेसॉर्ट डेवेलप  
एक जमानत द्वारा कोर्ट अर्पित शमील  
नशी डोग अन्वय। हमारे प्रस्तुत शमील  
Or नशीलान्त द्वारा तथा छिद्रात अतिमाधक  
की बहस सुनी गयी। शमील शमीलान्त  
सामने नशी बहस प्रस्तुत की गई थी।  
शमील शमीलान्त फौजदारी नशी डोग व  
कुछाव गृह के नशी पर शां 80.  
पंडित सुध के द्वारा नामां 171 एनोक  
14-6-1967 को उचित मानते हुए  
शमील शमीलान्त नशीलान्त की जाती  
है। नशीलान्त के द्वारा लिखाया जमानत  
सुनने जमानत में सुनाय गया फौजदारी  
नशी डोग जाहू अर्पित हुक्म हो

27/11/77  
जि. न. ला. 2

उय जिला कलेक्टर  
बीबीकानेर (बीकानेर)